

"प्रशासन आदेश"

मध्य प्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
वत्सल नवन, भोपाल-462004

क्रमांक एफ 73-43/2012/20-3,

भोपाल, दिनांक / /2012

प्रति,

सचिव,
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल,
प्रीत विहार, नई दिल्ली।

विषय-अशासकीय शिक्षण संस्था ग्लोबल इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल अरू, डबरा, जिला ग्वालियर, म.प्र. को सी.बी.एस.ई., नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ती प्रमाण-पत्र देने के संबंध में।

-0-

राज्य शासन द्वारा विषयांकित संस्था द्वारा आवेदन पत्र एवं शपथ पत्र के आधार पर संस्था को सी.बी.एस.ई. से सम्बद्धता हेतु यह अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्नलिखित शर्तों पर दिया जाता है :-

- (1) केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल या अन्य बोर्ड से सम्बद्धता मिलने के उपरान्त भी संस्था/समिति द्वारा म.प्र. शासन एवं लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा समय-समय पर शिक्षा के प्रबंध एवं विकास के संबंध में जारी निर्देशों का पालन किया जायेगा।
- (2) संस्था की प्रबंध कारिणी समिति में जिला शिक्षा अधिकारी, ग्वालियर, (MOPO) अथवा उनका एक प्रतिनिधि कार्यकारिणी में सम्मिलित करना होगा।
- (3) शिक्षण संस्था में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार क्रियाशील अग्नि शमन यंत्रों की आवश्यक रूप से व्यवस्था होगी तथा इस संबंध में भारत सरकार द्वारा शैक्षणिक संस्था के संबंध में समय-समय पर जारी किए जाने वाले निर्देशों का पालन संस्था को करना होगा।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

PRINCIPAL
GLOBAL INTER NATIONAL PUBLIC SCHOOL
ARROO DABRA

SECRETARY
Global International Public School
Arroo DABRA

(बी. एस. डावर)

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग

02

11.10.12

.....2

// 2 //

पृष्ठ 0 एक क्रमांक एक 73-43/2012/20-3

भोपाल, दिनांक 12/10/2012

प्रतिलिपि :-

- 1- सचिव, अशासकीय शिक्षण संस्था ग्लोबल इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल अरू, डबरा, जिला ग्वालियर, म.प्र. को सी.बी.एस.ई. से सम्बद्धता मान्यता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्न शर्तों पर प्रदान की जाती है:-
 - (i) संस्था सी.बी.एस.ई. के अनुसृत मापदण्डों की पूर्ति करती है अथवा नहीं, इसका परीक्षण केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा किया जायेगा।
 - (ii) संस्था द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र हेतु राज्य शासन को प्रस्तुत आवेदन पत्र या शपथ-पत्र में दी गई जानकारी गलत पाये जाने पर या उसका पालन नहीं करने पर अथवा राज्य शासन द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देशों का उल्लंघन किए जाने पर या प्राप्त शिकायत जांच में सही पाये जाने पर राज्य शासन द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र निरस्त किया जा सकेगा।
- 2- आयुक्त, लोक शिक्षण, भोपाल, म.प्र., ।
- 3- जिला शिक्षा अधिकारी, जिला ग्वालियर, म.प्र. ।
- 4- ऑर्डर बुक ।

PRINCIPAL
GLOBAL INTER NATIONAL PUBLIC SCHOOL
ARROO DABRA

SECRETARY
Global International Public School
Arroo DABRA

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग

11/10/12